

प्रारूप 27

[नियम 54 देखिए]

मोटर यान को नया रजिस्ट्रीकरण चिह्न दिए जाने के लिए आवेदन

यदि यान अवक्रय/पट्टा/आडमान करार के अधीन धारित है तो आवेदन तीन प्रतियों में किया जाए, दूसरी और तीसरी प्रति नया रजिस्ट्रीकरण चिह्न दे दिए जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पृष्ठांकन सहित उसी समय वित्त पोषक और मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को लौटा दी जाएगी।

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

.....

मैं/हम जो का/की पुत्र/पत्नी/ पुत्री हूँ/ मैं, और मोटरयान सं० का/कि रजिस्ट्रीकृत स्वामी हूँ/हैं, जिसकी चेसिस सं० इंजन संख्या यान की किस्म है और जो है और जो राज्य में रजिस्ट्रीकृत है, यह घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैंने/हमने मास के दिन से उक्त मोटर यान को इस राज्य में रखा है और मैं/ हम उक्त मोटर यान को एक नया रजिस्ट्रीकरण चिह्न दिए जाने के लिए आवेदन करता हूँ/ करते हैं,

मैं/ हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि रजिस्ट्रीकरण तक विधिमन्य है और यह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निलंबित या रद्द नहीं किया गया है। मैं/हम मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र और ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र संलग्न करता हूँ/ करते हैं।

मैं/हम रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का "आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र" संलग्न करता हूँ/ करते हैं।

यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का "आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र" संलग्न नहीं किया जाता है तो आवेदक को इस आवेदन के साथ धारा 47 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन यथापेक्षित धोशणा फाइल करनी चाहिए।

यान किसी अवक्रय/पट्टा/आडमान करार के अधीन नहीं है।

यान के साथ किए गए अवक्रय/पट्टा/आडमान करार के अधीन है और वित्त पोषक ने इसके नीचे आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र दे दिया है। देने से इंकार कर दिया है। यदि वित्त पोषक ने आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र देने से इंकार कर दिया है तो आवेदक को धारा 51 की उपधारा (8) के अधीन यथापेक्षित धोशणा फाइल करना चाहिए।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

* जो लागू न हो उसे काट दें।

धारा 51 (6) के अधीन " आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र" देने के लिए वित्त पोषक की सहमति

मैं/हम ऊपर विनिर्दिष्ट मोटर यान की बावत् अवक्रय/पट्टा/आडमान करार का/के पक्षकार हूँ/हैं:

- (1) मुझे/हमें उक्त यान को नया रजिस्ट्रीकरण चिह्न देने में कोई आक्षेप नहीं है।
- (2) मुझे/हमें इसके नीचे दिए गए कारणों से उक्त यान को नया रजिस्ट्रीकरण चिह्न देने में "आक्षेप" है।

तारीख

वित्तपोषक के हस्ताक्षर

.....

कार्यालय पृष्ठांकन

निर्देश संख्यांक कार्यालय यान संख्या को इस राज्य में लाए जाने पर एक नया रजिस्ट्रीकरण चिह्न (यहाँ रजिस्ट्रीकरण चिह्न प्रविष्ट करें) दिया गया है।

तारीख

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

.....

सेवा में,

वित्तपोषक,
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

.....

(उपर्युक्त दोनों पक्षकारों को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाए)